

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय:- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

K. d. j. DA

महाशय,

कोडरमा

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं उमा देवी पति श्री गोपी शर्मा

ग्राम चमशुद्धी कला पो0 कांठा थाना अयनगर

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा तिर्लेया

2. थाना तिर्लेया

3. थाना नं0 244

4. खाता नं0 258

5. प्लॉट नं0 3916

6. रकवा 02 5/0

7. भूमि का किस्म रेंजरी

8. अद्यतन रसिद नं0 0091271372 वर्ष - 2022-23

9. दा0 खारजि वाद संख्या 2796/2022-2023

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

उमा देवी

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं० 385/2022

आवेदिका उमा देवी पति श्री गोपी यादव, साकिन-चमगुदौ कला, पोस्ट-काको, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
तिलैया	244	258	3916	02 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 30/12/2022 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-258, प्लॉट सं०-3916 रकबा-02 डी० भूमि उमा देवी पति श्री गोपी यादव के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-82 भाग सं०-68 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-2796/2022-23 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-604 दिनांक 05.03.2012 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-23 दिनांक-20.12.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-258, प्लॉट सं०-3916 रकबा-02 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-258, प्लॉट सं०-3916 रकबा-02 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा